न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–छतरपुर

1– तिजुवा कुशवाह पुत्र डरूवा कुशवाह
2– उत्तम सिंह कुशवाह पुत्र तिजुवा कुशवाह, निवासीगण– नैगुंवा तहसील नौगांव, जिला–छतरपुर (म.प्र.)

..........आवेदकगण

विरूद्ध

सुन्दरलाल पुत्र मतिया कुशवाह, निवासी– नैगुंवा तहसील नौगांव, जिला– छतरपुर (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

न्यायालय/कार्यालय राजस्व निरीक्षक, तहसील नौगांव, जिला–छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/अ–12/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, अनावेदक द्वारा भूमि खसरा क्रमांक 472 रकवा 0.420 हेक्टेयर के सीमांकन बावत् आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया और राजस्व निरीक्षक द्वारा सरहदी कृषकों को सूचना–पत्र दिये बिना तथा उनके समक्ष सीमांकन किये बिना ही आदेश दिनांक 09.11.2012 से सीमांकन आदेश पारित कर दिया गया तथा आवेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 473 रकवा 0.480 हेक्टेयर के अंश भाग 5 आरे पर उत्तम पुत्र तिजुवा कुशवाह का अवैध कब्जा बताया गया।

2– यहकि, ग्राम पटवारी द्वारा आवेदकगण को सूचना दिये बिना तथा उनकी अनुपस्थिति में सीमांकन दिनांक 26.10.2012 को कर अपना प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक नौगांव को प्रस्तुत किया और इसी एक पक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2012 पारित किया है यह आदेश आवेदकगण की अनुपस्थिति में होने से नितांत अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय के इसी आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा यह पुनरीक्षण उपरोक्त तथ्यों व

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3471-III/2013 जिला छतरपुर तिजुवा विरूद्ध सुदंरलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक नौगांव के प्रकरण क्रमांक 02/अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 09-11-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी नौगांव को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी नौगांव के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 20/2/2019 सदस्य	